

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा करने को मजबूर हो गए थे ट्रंप?

ट्रंप ने महसूस कर लिया था कि अन्य देशों (यूरोपियन यूनियन) के युद्ध के लिए भारत को दण्ड देना हास्यास्पद बात है, क्योंकि वो देश (यूरोपियन यूनियन) स्वयं तो भारत से “फ्री ट्रेड डील” कर रहे हैं

-अंजन रॉय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 फरवरी। अगर दो बड़े देशों के बीच कोई व्यापार समझौता राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच एक फोन कॉल के तुरंत बाद घोषित किया जा सकता है, तो ऐसे समझौते को ज्यादा से ज्यादा “नकली” ही कहा जा सकता है।

या फिर यह भी संभव है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का पर्याप्त आधार पहले से मौजूद था, जिसे राजनीतिक या भू-आर्थिक कारणों से रोका गया था। अगर कुछ कहना हो, तो यह कहा जा सकता है कि टैरिफ और बहिष्कार की ट्रम्प की धमकियों के सामने भारत के न झुकने के रूख ने शायद आखिरकार ट्रम्प को अपना रुख बदलने पर मजबूर कर दिया होगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हो सकती हैं ममता बनर्जी

एसआईआर पर दायर ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई की संभावना

-जाल खंभाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने की संभावना है। सुत्रों के अनुसार, वे राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेसिव रिविजन-एसआईआर) को चुनौती देने वाली अपनी याचिका की सुनवाई के सिलसिले में अदालत में उपस्थित होंगी। सुत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी की याचिका को भारत निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया-ईसीआई) के खिलाफ दायर उन अन्य याचिकाओं के साथ सुना जा सकता है, जिनमें राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा शाखा ने उनके आने के लिए कथित तौर पर अनुमति दे दी है। ममता बनर्जी जैड प्लस श्रेणी की

■ अतः ट्रंप ने स्वयंमेव, रूस से ऑयल खरीदने पर भारत पर लगाई 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा वापस ली।

■ ट्रंप की इस घोषणा के बाद, प्र.मंत्री के समक्ष और कोई विकल्प नहीं रह गया, इसके अलावा कि वे इस “फ्री ट्रेड डील” का स्वागत करते।

■ ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इस ट्रेड डील के बाद, भारत-रूस से ऑयल खरीदना बंद कर देगा और वेनेजुएला से ही ऑयल खरीदेगा। यह भी एक हास्यास्पद दावा है।

■ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल का खरीददार है और वेनेजुएला इस स्थिति में ही नहीं है कि अगर वो अपना पूरा ऑयल भी बेचे तो भी भारत की जरूरत पूरी नहीं कर पाएगा।

■ इसके अलावा, ट्रंप का यह दावा भी अव्यवहारिक है कि भारत बिना किसी टैरिफ के अमेरिकी माल को भारत में आने की सुविधा देगा, पर, अमेरिका भारत के निर्यात पर कम से कम 18 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इन शर्तों पर कोई देश व्यापार करना स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस शर्त से तो उस देश का अपनी “सोवरेन्टी” (सार्वभौमिकता) का सौदा करना माना जाएगा।

मध्यप्रदेश राजस्थान को 30 हजार ईवीएम लोन पर देगा

जयपुर, 03 फरवरी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अब छत्तीसगढ़ , जम्मू-कश्मीर ,सिक्किम और महाराष्ट्र के बाद राजस्थान राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में भी जिम्मेदारी निभाएगा। इससे देश को ईवीएम खरीद में लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी।

आज, 03 फरवरी, 2026 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित

■ दोनों राज्यों के निर्वाचन आयोग में एमओयू हुआ, राजस्थान तीन करोड़ का भुगतान करेगा।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को 30,000 कंट्रोल यूनिट और 60,000 बैलेट यूनिट चार माह की अवधि के लिए लोन बेस पर उपलब्ध कराने का एम.ओ.यू. संपादित (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ प्रदेश की छोटी-छोटी खदानों में ड्रोन सर्वे से पैनल्टी तय करना उचित कैसे?’

राजस्थान स्मॉल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 3 फरवरी (कासे)। प्रदेश की छोटी-छोटी खदानों में माइनर मिनरल जैसे बजरी, चेजा-पत्थर का खनन करने वाले लीजधारकों पर ड्रोन सर्वे और जिओ टैगिंग की अनिवार्यता थोपने का विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान स्मॉल माइंस होल्डर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को संशोधित खनन नियमों को चुनौती दी गई है। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए मंगलवार को जस्टिस अनूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने इस संवेदनशील प्रकरण की अगली सुनवाई के लिए 6 मार्च तय की है। याचिका में

कहा गया है कि, कर्नाटक में भी इसी तरह ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के आधार पर खनन पर पैनल्टी लगाना शुरू किया गया था, जिससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ गयीं, क्योंकि यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। बाद में कर्नाटक सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व में खनन पट्टों का सीमांकन फीते और कंपास के आधार पर किया जाता था। परंतु वर्ष 2017 में खनन नियमों में संशोधन करते हुए ड्रोन सर्वे को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक पट्टा धारक के लिए प्रतिवर्ष ड्रोन सर्वे रिपोर्ट पेश करवाना अब जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह मापदंड बड़े लीजधारकों के लिए उचित है, परंतु छोटे-छोटे लीज धारकों

■ जस्टिस अनूप सिंघी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस प्रकरण की सुनवाई 6 मार्च तय की है।

■ याचिकाकर्ता के वकील, अश्विनी चौबीसा ने दलील दी कि, कर्नाटक में भी इसी तरह ड्रोन और सैटलाइट सर्वे के आधार पर खनन पर पैनल्टी लगाना शुरू किया गया था, जिससे कानूनी पेचीदगियां बढ़ गयीं, क्योंकि यह वैज्ञानिक तरीका नहीं है। बाद में कर्नाटक सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया।

के लिए अव्यवहारिक है, क्योंकि इनकी अधिकांश लीज एक हैक्टेयर से भी छोटी होती है। इस नियम को भी वर्ष 2024 में संशोधित करके बदला गया है। साथ ही सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए जिओ टैग करके लीज की सीमाएं तय की जा रही हैं।

अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने अदालत में दलील दी कि ड्रोन सर्वे का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र में किए गए कार्य का आकलन करना है। परंतु बिना किसी स्पष्ट एसओपी के यह गणना करना वैज्ञानिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। सरकार ने केवल 10 मार्च 2025 को एक नोटल

सरकारी सब्सिडी और उचित दिशा-निर्देशों के अभाव में, छोटे खनन व्यवसायियों के लिए यह प्रक्रिया आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होगी। साथ ही अगर कोई लीज धारक अपनी तय जगह से थोड़ा बहुत भी इधर-उधर खनन कार्य करता पाया जाता है, तो उसे 10 गुना रॉयल्टी बतौर जुर्माना चुकानी पड़ेगी। गौर फरमाने योग्य बात यह है कि अगर किसी लीज धारक के ब्लॉक की बाउंड्री के बाहर भी अवैध खनन पाया जाता है तो उसकी वसूली भी उसी लीज धारक से की जाएगी, चाहे वहां अवैध खनन किसी और ने किया हो। ऐसे में छोटे खनन व्यवसायियों में सरकार के इस नियम के कारण डर का माहौल है। इन लीज धारकों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर यह नियम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ भूकंप का केन्द्र म्यांमार में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 नापी गई।

कई इलाकों में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूकंप के झटके रात करीब 9:04 बजे महसूस किए गए। कोलकाता के अलावा हावड़ा और हुगली जिलों में भी धरती कांपती हुई महसूस की गई। इतना ही नहीं, उत्तरी बंगाल के कई हिस्सों में भी भूकंप का असर देखा गया।

आईसीसी के खिलाफ पाक क्रिकेट बोर्ड को झटका

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 3 फरवरी। भारत के खिलाफ 15 फ़रवरी को होने वाले हाई-प्रोफाइल वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार के अपने फैसले के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने कई अन्य सदस्य बोर्डों से संपर्क किया। लेकिन नतीजे निराशाजनक रहे। एक भी क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के

■ 15 फरवरी से शुरू हो रहे विश्व कप में भारत के खिलाफ समर्थन जुटाने की पाक क्रिकेट बोर्ड की मुहिम को अन्य देशों ने ठुकरा दिया है।

रुख का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान सरकार द्वारा सोशल मीडिया के जरिये सार्वजनिक घोषणा किए जाने के बावजूद, पीसीबी ने अब तक इस बहिष्कार को लेकर इंटरनैशनल क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) से औपचारिक रूप से संपर्क तक नहीं किया है। आधिकारिक संवाद की इस कमी ने पीसीबी को और ज्यादा अलग-थलग कर दिया है और वह उस क्रिकेट समुदाय से और दूर होता जा रहा है, जिस पर उसका अस्तित्व निर्भर करता है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जश्न मनाना अभी जल्दबाज़ी होगी’

दिल्ली के थिंक टैंक, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने चेतावनी दी

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 फरवरी। दिल्ली स्थित थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई), जिसे नीति निर्माता और व्यापार विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं, ने आगाह किया है कि प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जश्न मनाना जल्दबाज़ी होगी। जीटीआरआई का मानना ​​है कि यदि बातचीत में शामिल शर्तों पर सावधानीपूर्वक मोलभाव नहीं किया गया, तो वे भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

जीटीआरआई ने इन वार्ताओं से जुड़े कुछ प्रमुख दावों पर सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि “ज़ीरो टैरिफ” या भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर के सामान की खरीद जैसी बातें अब तक सत्यापित नहीं हुई हैं और कुछ मामलों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई हैं। थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि किसी

■ थिंक टैंक का कहना है कि डील में ज़ीरो टैरिफ और भारत द्वारा अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदने के जो दावे किए जा रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं हुई है।

■ थिंक टैंक ने कहा, अक्सर जब डील के कानूनी पहलुओं को परखा जाता है तो ट्रेड एग्रीमेंट्स का रूप ही बदल जाता है।

■ थिंक टैंक ने चेतावनी दी, अमेरिका एकतरफा डील करता रहा है, जिसमें वह ताकतवर स्थिति में होता है तथा सामने वाले पक्ष को दबाकर टैरिफ से स्थायी छूट प्राप्त कर लेता है. पर, खुद अपने बाज़ार में माल बेचने के लिए दूसरे देशों पर शर्तें लगाता है, यही नहीं, इसे पलटने का प्रावधान तक रखता है।

■ थिंक टैंक ने कृषि सैक्टर को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि अमेरिकी कृषि व डेयरी उत्पाद आने से भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो सकता है।

भी समझौते का जश्न उसके सूक्ष्म प्रावधान सामने आने से पहले नहीं

मनाया जाना चाहिए, क्योंकि कानूनी दायित्वों की जाँच के बाद व्यापार

समझौते अक्सर बिल्कुल अलग रूप में दिखाई देते हैं।

थिंक टैंक ने चेतावनी दी कि अमेरिका आम तौर पर स्थायी शुल्क रियायतें चाहता है, जबकि बदले में सशर्त या वापस ली जा सकने वाली बाज़ार पहुँच और यह भारत के लिए ऐसा जोखिम है कि वह ऐसी प्रतिबद्धताओं में बँध जाए जो उसका नीतिगत लचीलापन, विशेष रूप से कृषि और संवेदनशील विनिर्माण क्षेत्रों में, कमजोर कर दें। थिंक टैंक ने कहा, “एक बार जब शुल्क छोड़ दिए जाते हैं, तो उन्हें आसानी से वापस नहीं लिया जा सकता।” उसने यह भी कहा कि आसियान, जापान और कोरिया के साथ हुए पिछले मुक्त व्यापार समझौते दिखाते हैं कि असंतुलित समझौते कैसे निर्यात में समान लाभ दिए बिना व्यापार घाटे को बढ़ा सकते हैं।

थिंक टैंक ने एकतरफा समझौते के जोखिम की ओर भी ध्यान दिलाया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोलकाता व पूर्वी भारत में भूकंप के झटके

कोलकाता, 03 फरवरी। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मंगलवार शाम को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे आम लोगों में अफरा-तफरी मच गई। भूकंप के झटके इतने स्पष्ट थे कि

विचार बिन्दु

जो तेरे सामने और की निंदा करता है, वो और के सामने तेरी निंदा करेगा। –कहावत

सत्ता से असहमति और विरोध ही लोकतंत्र की आत्मा

लोकतंत्र की आत्मा असहमति में बसती है। प्रश्न करने का अधिकार, विरोध दर्ज कराने की स्वतंत्रता और सत्ता से जवाब मांगने की क्षमता ही किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली पहचान होती है। लेकिन शासन व्यवस्था या सत्तारूढ़ नेतृत्व को स्वभावत: असहमति असहज लगती है। मगर यहीं पर उनकी सच्ची पहचान होती है कि वे कितने सहिष्णु हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि असहमति लोकतंत्र की प्राणवायुहोती है। लोकतंत्र केवल मतदान की प्रक्रिया भर नहीं होता है जिसमें मतदाता ने वोट के जरिए अपनी राय व्यक्त कर दी और उसकी भागीदारी का काम पूरा हो गया। लोकतांत्रिक भागीदारी की प्रक्रिया निरंतर संवाद, आलोचना और सुधार की होती है। असहमति सत्ता को जवाबदेह बनाती है, नीतियों की खामियों को उजागर करती है और समाज को वैचारिक रूप से जीवंत रखती है। जिस लोकतंत्र में केवल प्रशंसा स्वीकार्य हो और आलोचना अपराध बन जाए, वह लोकतंत्र नहीं, बल्कि बहुमत के आवरण में छिपा अधिन्यायकवाद ही कहा जाएगा। लेकिन असहमति और विरोध का अर्थ हिंसा या अराजकता फैलाना नहीं होता। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेखन, भाषण, कला, व्यंग्य और सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति, ये सभी विरोध के वैध तरीके हैं जिन्हें भारतीय संविधान में बड़े जतन से संजोया गया है। किन्तु समस्या तब पैदा होती है जब सत्तासंविधान की भावना को नजरन्द्राज करते हुए नये-नये कानून बनाती है और शब्दों के विधिक अर्थों से यह तय करने लगती है कि कौन-सा विरोध ‘उचित’ है और कौन-सा ‘अनुचित’। यह समस्या तब और घनी हो उठती है जब सत्ता कानून बना कर विरोध को ‘अपराध’ घोषित करने लगती है और नागरिक प्रशासन तथा पुलिस तंत्र पर मुकदमें बनाने का निर्णय छोड़ देती है। यह किसी से छुपा नहीं है कि लोकतांत्रिक शासन-प्रशासन में लगे लोगों के मन में अब भी सामंती सोच घुसा हुआ है और वे संविधान को नहीं सत्ता में बैठे नेतृत्व की ओर ताकते हैं और उसे ही प्रसन्न रखने के प्रयत्न करते रहते हैं। यहीं अभिव्यक्ति की संविधान सम्मत आजादी पर प्रहार शुरू होता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के फर्जों में रह जाती है। विरोध के स्वर उठाने वाले अदालतों की लंबी ट्रायल से पहले ही बरसों जेलों में बंद रहते हैं। आजादी के एक दशक बाद शाहर साहिर लुधियानवी ने ‘फिर सुबह होगी’ फिल्म के लिए एक गीत में लिखा था, हरकू मांगने वाली को जिस दिन सुली ना दिखाई जाएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। ये लाइनें उन्होंने एक सच्चे लोकतंत्र की गहरी आस में लिखी थी। आजादी के 75 साल से अधिक होने पर भी यह आस यदि पूरी नहीं हो रहे है तो उसका कारण सामंती मानसिकता और सत्ता का अहंकार ही कहा जा सकता है। भारतीय समाज तथा प्रशासनिक ढांचे में औपनिवेशिक शासन और सामंती सोच की छाया अब भी मौजूद है, जहां सत्ता को चुनौती देना ‘अपराध’ माना जाता है। विरोध करने वाला नागरिक नहीं, बल्कि ‘उपद्रवी’, ‘अराजक तत्व’ या ‘राष्ट्रवेरोधी’ के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह मानसिकता स्पष्टत: लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सत्ता जनता की सेवक होती है, स्वामी नहीं। लेकिन जब सत्ता स्वयं को अचूक और आलोचना से परे मानने लगे, तब असहमति को कुचलना उसका सहज व्यवहार बन जाता है। वैचारिक असहमति को राज्य के खिलाफ षड्यन्त्र मान लिया जाता है और उससे निबटने के लिए संसदीय बहुमत के जरिए बिना किसी गंभीर बहस के कानून में कठोर प्रावधान कर दिए जाना आम बात हो गई है।

सवाल उठता है कि विरोध की परिभाषा किसके हाथ में हो? सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब ‘विरोध की अभिव्यक्ति’ की परिभाषा नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ दी जाती है। हालांकि जांच एजेंसियों द्वारा बनाए गये मुकदमों का अंतिम फैसला सर्वोच्च अदालत करती है जहां हमने देखा है कि जुर्म के आरोप से बरी होने का फैसला आते-आते मुजरिम की उम्र का बड़ा हिस्सा जेल की कोठरियों में बीत जाता है। व्यवहार में अक्सर देखा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र, सरकार के प्रत्येक विरोध को ‘कानून-व्यवस्था की समस्या’ के रूप में देखने लगता है। इन एजेंसियों को विरोध का हर स्वर हिंसा फैलने की आशंका वाला लगता है। जांच एजेंसियों का काम होना चाहिए कि वह निष्पक्ष छानबीन करें। मगर यह एजेंसियां प्रत्येक मामले में खुद पक्षकार बन बैठती हैं। अदालतों के अनेक फैसले हैं जिनमें सामने आया कि जांच एजेंसियों

ने किसी को फंसाने के लिए चयनित तरीके से सबूत खोजे या बनाए तथा उन साक्ष्यों को जानबूझ कर नजरन्द्राज किया जो बनाए जा रहे केस को कमजोर करता है और मुल्किय छूट सकता है। मामला शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अनुमति, कानून की धाराओं, लाठी और गिरफ्तारी के जाल में उलझा दिया जाता है। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब पुलिस और नौकरशाही भ्रष्टाचार में आकंट डूबी हो, राजनीतिक दबावों के आगे नमस्तस्त हो और प्रशासन तंत्र में नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव हो। पुलिस, सीबीआई, ईंडी या एनआईए जैसी विधिक जांच एजेंसियों का संवैधानिक दायित्व बनता है कि वे निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और सत्य-आधारित जांच करें। उनका कार्य किसी व्यक्ति को फंसाना नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचना होता है। परंतु

व्यवहार में अक्सर यह देखा गया है कि जांच एजेंसियां स्वयं ही अभियोजन पक्ष का विस्तार बन जाती हैं और निरपराधता के साक्ष्यों को नजरअंदाज कर देती हैं। इस प्रवृति पर न्यायालयों ने भी बार-बार गंभीर टिप्पणियां की है। कानून स्पष्ट है कि जांच एजेंसी को दोष और निर्दोष-दोनों प्रकार के साक्ष्य समान इमान्दारी से एकत्र करने चाहिए। लेकिन व्यवहार में पहले गिरफ्तारी, फिर सबूत की प्रवृति दिखाई देती है। एक बार जब एजेंसी किसी व्यक्ति को आरोपी मान लेती है, तो उसके बाद पूरी जांच उसी धारणा को सिद्ध करने में लग जाती है, जो न्याय की मूल भावना के विपरीत है। यह समस्या केवल कुछ मामलों की नहीं, बल्कि प्रणालीगत है। एक लोकतांत्रिक राज्य में जांच एजेंसी की सबसे बड़ी निष्ठा सत्ता के प्रति नहीं, बल्कि संविधान, कानून और सत्य के प्रति होनी चाहिए-यही न्याय का आधार होता है। प्रशासनिक और पुलिस तंत्र इमानदार, सक्षम और पेशेवर हो, तब भी असहमति के प्रबंधन में सावधानी अपेक्षित होती है। लेकिन जब वही तंत्र भ्रष्टाचार, अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त हो, तब उसे असहमति पर नियंत्रण पर निर्भरता की जिम्मेदारी सौंपना लोकतंत्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। ऐसे तंत्र में कानून का प्रयोग न्याय के लिए नहीं, बल्कि सत्ता की सुविधा के लिए किया जाता है। विरोध करने वालों पर कठोर धाराएं लगाई जाती हैं, लंबी पूछताछ, हिरासत और मुकदमों के जरिए उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ा जाता है। उद्देश्य न्याय नहीं, बल्कि संदेश देना होता है कि, विरोध की कीमत चुकानी पड़ेगी।

न्याय की सत्ता स्थापित करने के लिए संविधान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग रखते हुए अदालतों को नागरिक अधिकारों का अंतिम प्रहरी बनाया गया है। लेकिन जब न्याय प्रक्रिया वर्षों लंबी खिंच जाए, तब ‘न्याय में देहांत’ स्वयं अन्याय का रूप ले लेती है। अभिव्यक्ति के कितने ही मामले ऐसे होते हैं जिनमें इसी आधार पर कोई अपराधी मान लिया जाता है कि उसका कोई वक्तव्य या भाषण विभाजनकारी है या विध्वे फैलाने वाला है। वर्षों बाद अदालत यह निर्णय देती है कि ऐसा नहीं था। उसके खिलाफ मामला निराधार था। लेकिन तब तक उसका जीवन, करियर, प्रतिष्ठा और मानसिक शांति नष्ट हो चुकी होती है। सवाल यह है कि इस क्षति को भरपाई कौन करेगा? क्या वर्षों तक मुकदमे झेलना, जेल जाना और सामाजिक बदनामी सहना ही सजा नहीं है-भले ही अंतत: बरी कर दिया जाए? कानून का भय, न्याय की धीमी गति और प्रशासनिक उन्पीड़न की ऐसी स्थिति असहमति के दमन का सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। जब विरोध को अपराध बना दिया जाता है, तब समाज में भय का लोकतंत्र जन्म लेता है। लोग चुप रहना सीख जाते हैं, प्रश्न पूछने से कतराने लगते हैं और आत्म-संसरशिप सामान्य व्यवहार बन जाती है। यह स्थिति किसी भी समाज के बौद्धिक और नैतिक पतन का संकेत होती है। इसके विपरीत, स्वस्थ लोकतंत्र संवाद से चलता है, जहां सत्ता आलोचना को अपने सुधार का अवसर मानती है, और असहमति को देशद्रोह नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ऊर्जा के रूप में देखती है। इस संकट से निकलने के लिए कुछ बुनियादी सुधार अनिवार्य हैं। पहला, विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर स्पष्ट, संकीर्ण न होने वाली कानूनी परिभाषाएं तय की जाएं, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके। दूसरा, पुलिस और प्रशासनिक सुधार हो जिसमें उन्हें राजनीतिक दबाव से मुक्त, जवाबदेह और नागरिक अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। तीसरा, अदालतों में त्वरित सुनवाई की व्यवस्था, विशेषकर अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में, ताकि ‘प्रक्रिया ही सजा’ न बन जाए। और चौथा, समाज में लोकतांत्रिक संस्कारों का विस्तार हो जिसमें यह समझ बने कि विरोध देशद्रोह नहीं, बल्कि देशप्रेम का ही एक रूप होता है। असहमति और विरोध लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत होती है। जब सत्ता इन्हें सहन नहीं कर पाती, तब लोकतंत्र खोखला होने लगता है। विरोध की अभिव्यक्ति को नौकरशाही और पुलिस के विवेक पर छोड़ देना, विशेषकर ऐसे समाज में जो अभी सामंती सोच और भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, लोकतंत्र के लिए अपेक्षित खतरनाक है। लोकतंत्र की खूबसूरती तभी बनी रह सकती है जब सत्ता में बैठे लोग आलोचना से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें; और जब नागरिक बिना भय के अपनी बात कह सकें।

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोडा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राशिफल
बुधवार 4 फरवरी, 2026
फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तृतीया तिथि, बुधवार, विक्रम संवत् 2082, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 1०:13 तक, अतिरिक्त योग रात्रि 1:०4 तक, वणिज करण दिन 12:25 तक, चन्द्रमा रात्रि 4:2० से कन्या राशि में संचार करेगा।
गृह स्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मकर, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज राजयोग रात्रि 1०:13 तक है। भद्रादिन 1२:25 से रात्रि 1२:1० तक रहेगी। आज हर्षल मार्गों प्रात: 8:०5 पर होगा।
श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:59 तक, शुभ 1१:19 से 12:41 तक, चर 3:24 से 4:45 तक, लाभ 4:45 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 1२:०० से 1:३० तक। सूर्योदय 7:15, सूर्यास्त 6:०6

मेघ
 व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।
 व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
 आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।
 आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक स्थिति की यात्रा संभव है।

वृष
 घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।
 परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-साामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
 व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा।
 चलते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
 परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

धनु
 नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।
 घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कर्क
 आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।
 संभावित ख़ोत से बच प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनने। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

मकर
 चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बरते कार्य विगड़ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

सिंह
 मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार सफल रहेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कुंभ
 परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या समाधान हो सकता है। व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कन्या
 आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक मामलों में लोपरवाही ठीक नहीं रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

मीन
 विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

भारतीय सेना का ‘‘प्रोजेक्ट नमन’’ : वीरों के सम्मान और परिवारों के संबल की मिसाल

15 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरतगढ़ में 100वें (नमन) केंद्र का उद्घाटन किया था



आकाश बैरवा

देश की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवर्जनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने केलिये केंद्र सरकार और भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन संचालित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट शहीद सैनिकों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सम्मानजनक, संवेदनशील और त्वरित सहायता प्रदान करने की

एक सशक्त पहल है।

हाल ही में 15 जनवरी को जयपुर में आयोजित 78 वें गौरवशाली सेना दिवस परेड समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 100वें (नमन) केंद्र का उद्घाटन किया, जो पूर्व सैनिकों को सहायता और सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और यह पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी पहल है।

एकल-खिड़की के जरिए मिलेगा परिवर्जनों को मार्गदर्शन :- प्रोजेक्ट नमन का मुख्य उद्देश्य शहीदों के परिवर्जों एवं पूर्व सैनिकों को पेंशन, अनुग्रह राशि, चिकित्सा, पुनर्वास, रोजगार और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत सेना मुख्यालयों, रेजिमेंटल सेंटरों तथा सैन्य प्रतिष्ठानों में नमन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा एकल-खिड़की प्रणाली के तहत सेवाएँ

प्रदान की जाती हैं।

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका मानवीय दृष्टिकोण है। यहाँ कागजी कार्यवाही पर बल नहीं देकर शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को सम्मान, सहानुभूति और आत्मीयता के साथ सुना जाता है, जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। नमन शब्द अपने आप में आर और श्रद्धा का प्रतीक है, जो इस पहल की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

सेना शहीद सैनिकों के परिवार के साथ :-प्रोजेक्ट नमन ने सेना और सैनिक परिवारों के बीच आपसी विश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया है। यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्र की सेवा में बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवार स्वयं को कभी अकेला न महसूस करें। साथ ही, यह प्रोजेक्ट युवाओं में देशभक्ति और सेना के प्रति सम्मान की भावना को भी और अधिक सशक्त करता है।

भारतीय सेना सेवा से पहले, सेवा

के दौरान और सेवा के बाद सदैव तत्पर-

समग्र रूप से, भारतीय सेना का प्रोजेक्ट नमन केवल एक कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि राष्ट्र की ओर से अपने वीर सपूतों और उनके परिवारों को दिया जा रहा सम्मान और संबल है। यह प्रोजेक्ट और इसकी भावना भारतीय सेना की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें सेवा से पहले, सेवा के दौरान और सेवा के बाद सैनिकों और उनके परिवारों का सदैव ध्यान रखा जाता है।

भारतीय सेना-शीर्ष एवं बलिदान की परंपरा की थीम पर गत दिवस जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट नमन के तहत सूरतगढ़ में 1०0वें नमन सेंटर का वचुअल उद्घाटन किया। नमन सेंटर रक्षा पेंशनभागियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहयोग और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाये गए हैं। इनकी शुरुआत से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को देखभाल और सहायता मिलेगी। भारतीय सेना के नमन केंद्र पूर्व सैनिकों, पेंशनभागियों और

—आकाश बैरवा,

एपीआरओ, डीआईपीआर

‘सबका साथ, सबका विश्वास’ के आधार पर बने यूजीसी विनियम

लोकतंत्र के मूल उद्देश्य को ही खत्म करना है। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता। और न ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना, स्वतंत्रता कुछ लोगों का बहुत से लोगों पर वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। भाईचारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता स्वाभाविक रूप से चीजों का हिस्सा नहीं बन सकती।”

यूजीसी विनियम को सीधे तौर पर पढ़ने से यह साफ हो जाता है कि इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की बुनियादी कानूनी समझ की कमी है। रेगुलेशन की यह योजना मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सीधा उल्लंघन है। यूजीसी गाइडलाइंस में एक बड़ा ऑब्जेक्शन सामान्य वर्ग को अन्याय करने वाला बताकर पेश करना है। इन चिंताओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम एक जीवंत लोकतंत्र में संस्थागत चेक एंड बैलेंस के साथ-साथ शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत को महत्व को रेखांकित करता है। 77 साल के गणतंत्र भारत के बाद जो चिंता सामने आती है, वह यह है कि कानूनी प्रावधान प्रगतिशील होने चाहिए, न कि प्रतिगामी। साथ ही, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को अलग-अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि भाईचारा उस पिरामिड का आधार है जहां समानता और स्वतंत्रता हासिल करने की कोशिश की जाती है। मौजूदा केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, लेकिन यूजीसीविनियम इसके बिल्कुल उलट है। ऐसी विफलता वे त्रिमूर्ति का एक संघ बनाते हैं, इस अर्थ में कि एक को दूसरे से अलग करना

साथ ही गलती करने वाले अधिकारियों और इस समाज विरोधी नीति को बनाने में शामिल सभी हितधारकों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह एक ऐसा काम है जो देश की एकता, अखंडता के लिए खतरा है।

यह बहुत जरूरी है कि भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने को सही मायनों में समझा जाए। हिंदू जीवन शैली गैर-भारतीयों के लिए एक स्व-निर्मित रहस्य रही है। वर्ण व्यवस्था और जाति संरचना के बीच के अंतर को समग्र रूप से समझने की जरूरत है। दोनों के बीच अंतर यह है कि वर्ण व्यवस्था ईसान के जनजात गुणों की बात करती है, जबकि जाति व्यवस्था की नींव परिवार में जन्म पर आधारित है। संतों, समाज सुधारकों के माध्यम से हिंदू धर्म का सुधारवादी स्वभाव हिंदू जीवन शैली की पहचान रहा है। प्राचीन भारत में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, मध्यकाल में गुरु नानक और कबीर और आधुनिक भारत में स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद इस बात का प्रमाण है कि हिंदू हमेशा सुधारों के लिए खुले रहे हैं।

संविधान योजना में अस्पृश्यता पर रोक और वीरोंता के लिए सकारात्मक कार्रवाई स्वतंत्रता और समानता के साथ भाईचारे को बढ़ावा देने का एक और उदाहरण है। हिंदू धर्म के आलोचक अक्सर बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने की गलती कर बैठते हैं। शुरुआत में आरक्षण के प्रावधान सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए थे। इसके बाद शिक्षा, रोजगार और चुनावी भागीदारी में आरक्षण के लाभार्थियों के समूह में अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया गया, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिला। साथ ही, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य

पिछड़े वर्गों के लिए अलग-अलग आयोग यह दिखाते हैं कि आंकड़ों में डेटा को अपडेट करने की जरूरत है। ठीक सरकार को विश्वभूकल्याणकारी योजनाओं के ज़मीनी स्तर पर लागू होने के बारे में जानकारी मिल सके। इससे यह निष्कर्ष और मांग भी सामने आती है कि एक अलग आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आयोग बनाया जाए। इसे या तो संवैधानिक संशोधन करके या वैधानिक निकाय के माध्यम से अस्तित्व में लाया जाए। यूजीसी विनियम 2०26 के दुर्упयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अत्याचार अधिनियम का अनुभव इस बात को साबित करता है। 2०26 में सामान्य वर्ग को समाज में हावी दिखाना एक मिशन है। पॉरिगैडिक लेबर रिपोर्ट और शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि सामान्य वर्ग की स्थिति उतनी ऊंची नहीं है जितनी अक्सर वोट बैंक की राजनीति के भाषणों में बताई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जय सिंह की यूजीसी विनियम 2०26 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नकारात्मक प्रतिक्रिया को हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वह बयानबाजी करने वाले समूह का हिस्सा मानी जाती है।

भेदभाव की छिटपुट घटनाओं को मीडिया में जरूरत से ज़्यादा जगह दी जाती है, जिससे एक ऐसा नैरेटिव बनता है जो ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल उलट है। आज भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से हैं। अब तक अनुसूचित जाति के दो सदस्यों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। वर्तमान प्रधानमंत्री अन्य पिछड़ा वर्ग से है। ये तीनों पद संवैधानिक प्रकृति के हैं, जो 195० से 2०26 तक गणतंत्र भारत की यात्रा को दर्शाते हैं। इसलिए, सकारात्मक

कार्रवाई प्रगतिशील होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की त्रिमूर्ति में संतुलन बनाए, जिससे भारत के सभी नागरिकों की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनी रहे।

भारत दुनिया के सभी बड़े धर्मों की जन्मभूमि रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जीवन के शाश्वत सिद्धांतों में लौकिक चीजों के एकीकरण, आत्मसात और संश्लेषण जैसी खास विशेषताएं हैं। भारत दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी का गवाह रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्ञान के मंदिरों को अस्वस्थ जातिगत राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। यूजीसीविनियम बनाने वालों को सभ्यतापथ, सबका विकास का नारा और रबींद्रनाथ टैगोर की कविता याद रखनी चाहिए -

जहां मन बिना किसी डर के हो और सिर ऊंचा हो

जहां ज्ञान आजाद हो जहां दुनिया को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा गया हो संकीर्ण घरेलू दीवारों से जहां शब्द सच्चाई की गहराई से निकलते हैं

जहां अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपने हाथ बढ़ाता हो जहां तर्क की साफ धारा पुरानी आदतों के नीरस रेगिस्तान की रेत में अपना रास्ता न खो दे

जहां मन तेरे द्वारा आगे बढ़ाया जाए हमेशा बढ़ते विचारों और कामों की ओर

आजादी के उस स्वर्ग में, हे मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ।

—सूर्यप्रतापसिंह राजावत, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

भीलवाड़ा के शंभूगढ़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 0 साल से नहीं हुआ क्रमोन्नत

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के शंभूगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। 30 साल पहले जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, वह आज भी उसी स्थिति में है, जबकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। बजट सत्र नजदीक आते ही अब ग्रामीणों ने अस्पताल को क्रमोन्नत करने और एंबुलेंस सेवा शुरू करने की मांग तेज कर दी है।

शंभूगढ़ का यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले तीन दशकों से

अपने उद्धार की राह देख रहा है। 3० वर्ष पूर्व तत्कालीन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठीड़ ने इस केंद्र का उद्घाटन किया था। उस वक्त की जरूरत के हिसाब से यह पर्याप्त था, लेकिन आज शंभूगढ़ पंचायत समिति मुख्यालय बन चुका है और जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके, अस्पताल का दर्जा नहीं बढ़ा। संसाधनों की कमी और सीमित स्टॉफ के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर बीमारी होने पर ग्रामीणों को इलाज के

■ **30 साल पहले जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, वह आज भी उसी स्थिति में है, जबकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है**

लिए आसोज या गुलाबपुरा के चक्कर काटने पड़ते हैं। गौरतलब है कि 1० हजार की आबादी वाले शंभूगढ़ कस्बे की सेहत की जिम्मेदारी केवल एक

डॉक्टर के कंधों पर है। आपातकालीन स्थिति हो या प्रसव पीड़ा, डॉक्टर की अनुपलब्धता या संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को अक्सर रेफर कर दिया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस बार स्थानीय विधायक जबर सिंह सांखला से भी गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार उनकी सुध लेगी और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार समस्या सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग तक

सीमित नहीं है। शंभूगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग 148- के नजदीक स्थित है, जहां आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। कस्बे में 1०8 एंबुलेंस की सुविधा न होने के कारण, दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता, जिससे कई बार घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अस्पताल के क्रमोन्नयन के साथ ही यहाँ 1०8 एंबुलेंस की स्थाई तैनाती की जाए, ताकि घायलों और गर्भवती महिलाओं की जान बचाई जा सके।



महिलाओं को अवसर मिलेगा, गाँवों को नई पहचान।
रोज़गार में एक-तिहाई अधिकार महिलाओं के नाम।

Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar
and Ajeevika Mission (Gramin) : VB – G RAM G
(विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025

125 दिन
की रोज़गार गारंटी



CBC 35101/13/0106/2526

पीएमसीएच में दुर्लभ बीमारी का मामला

उदयपुर, (कासं)। चिकित्सा जगत अपनी जटिलताओं और अनेक मामलों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में उदयपुर में एक ऐसा दुर्लभ मामला सामने आया है जिसने रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और मरीज की शारीरिक स्थिति के बीच के सामान्य तालमेल को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पेंसफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 34 वर्षीय महिला में पल्मोनरी एम्बोल माइक्रोलिथियासिस (पाम) नामक अत्यंत दुर्लभ फेफड़ों की बीमारी की पुष्टि हुई है।

दरअसल पेशे से किसान 34 वर्षीय एक महिला को सांस लेने में हल्की तकलीफ की शिकायत के चलते परिजनों ने पीएमसीएच के चेस्ट एवं टी.बी. रोग

विभाग के डॉ.आमिर शौकत को दिखाया। मरीज को न तो खांसी थी, न ही सीने में दर्द और न ही बुखार। चिकित्सकीय जांच में उसके फेफड़े सामान्य रूप से काम करते प्रतीत हो रहे थे और उनका आँकसीजन लेवल भी 98 था, जो कि पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति का होता है। लेकिन जब उनका चेस्ट एक्स-रे किया गया, तो रिपोर्ट देख डॉक्टर हैरान रह गए। एक्स-रे में दोनों फेफड़ों में रेत के कणों जैसी असंख्य छोटी-छोटी गाँठें दिखाई दीं। मेडिकल भाषा में इसे सैंडस्टॉर्म अपीयरेंस कहा जाता है। एक्स-रे की गंभीरता को देखकर ऐसा लग रहा था कि मरीज की हालत बहुत नाजुक होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में मरीज बिल्कुल सामान्य और स्थिर थी।

जोशी त्रिमेस युवा क्लब अध्यक्ष बने

बांसवाड़ा, कस्बे में त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के नोहरे में विनोद शुक्ला के मुख्य आतिथ्य, त्रिमेस इकाई उपाध्यक्ष पवन जोशी की अध्यक्षता एवं कोषाध्यक्ष राजेश शुक्ला, धर्मैट टी जोशी, अनिल शुक्ला, पुष्पेंद्र शुक्ला, सुभाष शुक्ला के विशिष्ट आतिथ्य में त्रिमेस युवा क्लब की नवीन कार्यकारिणी का मनोनयन किया गया। मीडिया प्रभारी कपिल जोशी ने बताया कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए जयकुमार जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष कुलदीप जोशी, संयोजक-कुंदन जोशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोत शुक्ला, उपाध्यक्ष वैभव ठाकुर, हार्दिक पानेरी, सचिव नीलेश ठाकुर, सहसचिव मयंक ठाकुर, कोषाध्यक्ष विपुल ठाकुर, सहकोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला, प्रवक्ता-विवेक जोशी, मीडिया प्रभारी-कपिल जोशी, संगठन मंत्री-पुनीत ठाकुर, मुदित जोशी, विनय ठाकुर, अजय जोशी, मोहक ठाकुर, आदित्य जोशी, सुधीर शुक्ला, भाविन जोशी, भरत व्यास, सदन्य रितेश शुक्ला, राज ठाकुर, मानस जोशी, दिव्यांशु शुक्ला, धर्मांशु पानेरी, देवव्रत जोशी सहित समाज के युवाओं का मनोनयन किया गया। मार्गदर्शक मंडल में पवन जोशी, राजेश शुक्ला, अनिल शुक्ला, धर्मैट टी जोशी, पुष्पेंद्र शुक्ला, दीपक टी ठाकुर, दीपक पानेरी, जगदीश ठाकुर, हितेश जोशी को शामिल किया गया। इस दौरान त्रिमेस युवाओं के लिए शैक्षिक, सहशैक्षिक, खेल एवं समाज सुधार के लिए चर्चा आगामी बैठक में करने का निर्णय लिया गया।



Phone No. 0294-2417334 (O) Email- dorpmpua@gmail.com

अनुसंधान निदेशालय

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

राजस्थान कृषि महाविद्यालय परिसर, उदयपुर

क्रमांक मप्रक्रप्रोविवि/Tender/2025-26/4718 दिनांक: 02/02/2026

निविदा सूचना

अनुसंधान निदेशालय, मप्रक्रप्रोविवि, उदयपुर की ओर से निम्न खुली निविदा निम्नानुसार दिनांक 09.02.2026 अर्थात् 12:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट (sppp.rajabsthan.gov.in and www.mpuat.ac.in) पर देखी जा सकती है। निविदा में निविदा में संशोधन होने पर उधारोक्त वेबसाइट पर ही प्रेषित किया जावेगा।

निविदा संख्या:

DOR/NIT/2025-26/4496 ATU2526A0238/ATU2526SSOB000283

DOR/NIT/2025-26/4497 ATU2526A0240/ATU2526SSOB000285

DOR/NIT/2025-26/4498 ATU2526A0243/ATU2526SSOB000288

DOR/NIT/2025-26/4499 ATU2526A0241/ATU2526SSOB000286

DOR/NIT/2025-26/4500 ATU2526A0244/ATU2526SSOB000289

DOR/NIT/2025-26/4501 ATU2526A0245/ATU2526SSOB000290

DOR/NIT/2025-26/4502 ATU2526A0242/ATU2526SSOB000287

DOR/NIT/2025-26/4503 ATU2526A0246/ATU2526SSOB000291

DOR/NIT/2025-26/4504 ATU2526A0247/ATU2526SSOB000292

निदेशक अनुसंधान

कार्यालय ग्राम पंचायत गोरेला, पंचायत समिति गिर्वा, जिला-उदयपुर

क्रमांक: निविदा/2025-26/159 दिनांक: 02.2.2026

-: ई निविदा सूचना- 04/2025-26 :-

कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा सी.सी. सड़क निर्माण कार्य घड़ीचा स्कूल से डुंगा जी के घर की ओर हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित कि जाती है अतः उक्त कार्य हेतु इच्छुक संवेदकों/फर्मों से ऑनलाईन ई-निविदाएं दिनांक :- 13.02.2026 को प्रातः- 11.00 बजे तक ऑनलाईन ई-प्रोक्वोमेंट पोर्टल से आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/जानकारी sppp.rajabsthan.gov.in, eproc.rajabsthan.gov.in पर देखा जा सकती है।

UBN No ZUD2526WSOB04359

प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-गोरेला	ग्राम पंचायत-गोरेला
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर (राज.)	पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर (राज.)

आम सूचना नाम परिवर्तन

यह कि मेरे कार्याधी श्याम लाल पुत्र राम लाल आयु 24 वर्ष जाति भाण्ड निवासी 269 ठीकरवास कलां, तहसील भीम जिला राजसमन्द, राज. के होकर इनकी पुत्री का जन्म राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर जिला ब्यावर में दिनांक 29.04.2025 को हुआ था, जिसमें उक्त राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर से जन्म प्रमाण पत्र करते समय त्रुटि पूर्वक दुर्गालिखवा दिया गया था जबकि सही नाम आराध्या (ARADHYA) है, जन्म प्रमाण रजि. संख्या 08118005980003400117/2025 है जो कि दिनांक 24.07.2025 को जारी हुआ है।

यह कि मेरे कार्याधी को अपनी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में नाम आराध्या (ARADHYA) दर्ज करवाना है जो कि सही व सत्य है।

Place: Bhim Date:- 03/02/2026

एडवोकेट भगत सिंह चौहान तहसील रोड, भीम Mo. 9875746645

कार्यालय नगरपालिका मावली, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक: न.पा.मा./भूमि-तामीर/2025-26/815 दिनांक :- 2.2.26

:-: उजरदारी सूचना :-:

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा उपविभाजन/नामान्तरण हेतु नगरपालिका में आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को माफिक नक्शा उपविभाजन, नामान्तरण दिये जाने के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो, तो मय दस्तावेजों प्रमाण के 07 दिवस की अवधि में नगरपालिका कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें। समयवधि गुजरने के बाद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	पड़ोस की स्थिति			
			पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
1.	33/2025-26 (उपविभाजन)	श्रीमती चंदना राय पत्नी श्री कार्तिक चंद्र राय निवासी ज्योति कॉम्प्लेक्स के पास मावली जिला उदयपुर (राज.) योजना- जय जिनैन्द्र विहार पलाना फाटक मावली भू.सं. 21 क्षेत्रफल 2483 वर्गफिट	भूखण्ड संख्या 19 व 20	आम रास्ता 25 फिट	भूखण्ड संख्या 22	आम रास्ता 25 फिट
2.	34/2025-26 (उपविभाजन)	श्री कार्तिक चंद्र राय पिता श्री अश्विनी राम निवासी ज्योति कॉम्प्लेक्स के पास मावली जिला उदयपुर (राज.) योजना- जय जिनैन्द्र विहार पलाना फाटक मावली भू.सं. 22 क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट	भूखण्ड संख्या 18	आम रास्ता 25 फिट	भूखण्ड संख्या 23	भूखण्ड संख्या 21
3.	38/2025-26 (नामान्तरण)	श्रीमती चंदना राय पत्नी श्री कार्तिक चंद्र राय निवासी ज्योति कॉम्प्लेक्स के पास मावली जिला उदयपुर (राज.) योजना- जय जिनैन्द्र विहार पलाना फाटक मावली भू.सं. 21 क्षेत्रफल 2483 वर्गफिट	भूखण्ड संख्या 19 व 20	आम रास्ता 25 फिट	भूखण्ड संख्या 22	आम रास्ता 25 फिट
4.	39/2025-26 (नामान्तरण)	श्री कार्तिक चंद्र राय पिता श्री अश्विनी राम निवासी ज्योति कॉम्प्लेक्स के पास मावली जिला उदयपुर (राज.) योजना- जय जिनैन्द्र विहार पलाना फाटक मावली भू.सं. 22 क्षेत्रफल 1250 वर्गफिट	भूखण्ड संख्या 18	आम रास्ता 25 फिट	भूखण्ड संख्या 23	भूखण्ड संख्या 21

नोट:- प्रार्थी द्वारा उपविभाजन, नामान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड पर किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उपविभाजन पश्चात् नामान्तरण कि कार्यवाही भी कर दी जावेगी।

अधिरासी अधिकारी, नगरपालिका, मावली

बास्केटबॉल प्रतियोगिता के महाकुंभ का आगाज

उदयपुर, (निर्सं)। विद्या प्रचारिणी सभा भूपाल नोबलस विश्वविद्यालय की मेजबानी में पहली बार हो रहे चार दिवसीय वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के महाकुंभ का शुभारंभ संस्थान के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर हुआ। प्रतियोगिता में राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र एवं गोवा के 127 विश्वविद्यालय के 1500 से अधिक खिलाड़ी एवं कोच भाग ले रहे हैं। चार दिनों तक शहरवासियों को प्रतियोगिता के रोमांचकारी मैच देखने को मिलेंगे। प्रतियोगिता में वेस्ट जॉन स्वर्ण, रजत व कांस्य पदकों के लिए मुकाबला होगा, जो टीम क्वालीफाई करेगी वे आने वाले दिनों में होने वाली ऑल इंडिया बास्केटबॉल प्रतियोगिता में अपनी जगह बनायेगी।

आईजी गौरव श्रीवास्तव ने कहा कि भारत युवाओं का देश और आगामी 30 वर्षों तक युवा देश रहने वाला है। देश की प्रगति युवाओं के हाथ में है। इस वचुअल दुनिया में कोई किसी का साथी नहीं है श्रीवास्तव ने युवाओं से सोशल मीडिया व नशीले पदार्थों से दूर रहने व टेऊफिक नियमों की पालना करने की नसीहत दी।

विदाई समारोह

उदयपुर, । संभाग के सबसे प्रतिष्ठित हेरिटेज बालिका विद्यालय रेजिडेंसी में विदाई समारोह मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा 12 के तीनों संकाय की 215 छात्राओं को मौली, तिलक व प्रसाद के साथ बोर्ड परिक्षा में सफलता की शुभकामनाओं के साथ विदाई की रस्म अंदा की गई। कक्षा 12 की छात्राओं द्वारा विद्यालय के व्याख्यान स्टैंड पेट किया गया। सत्र 024-25 शैक्षिक, सहशैक्षिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 22 छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान मुकेश पारख द्वारा छात्राओं को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित किया गया। बोर्ड परीक्षा प्रभारी ममता बोल्या द्वारा परीक्षा संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई।



उदयपुर में आईजी गौरव श्रीवास्तव ने वेस्ट जॉन इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता के समारोह को संबोधित किया।

आज युवा नियमों को तोड़ने पर शान समझते हैं। खेलों के माध्यम से ही हम अपनी असली पहचान बना सकते हैं और टीम वर्क की हमारे जीवन में काम आएगा।

सोशल मीडिया की बजाय मानवीय नेटवर्क को जीवन में आगे बढ़ाएं तभी आप सफल हो सकेंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने कहा कि खेलों

से टीम वर्क भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। युवाओं को किसी न किसी खेल में भाग लेना चाहिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती।

युवती ने की आत्महत्या

उदयपुर, (कासं)। शहर के अम्बामता थाना क्षेत्र में युवती ने मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सवेरे बड़ेरा फला वाघपुरा हाल ब्रम्हपोल निवासी अर्चना (19) पुत्री किशनलाल ने अपने किराए के मकान में फांसी लगा आत्महत्या कर ली। अर्चना की मां व भाई होटल में काम करते हैं जो सवेरे नौकरी पर गए थे। दोपहर में मां लौटी तो कमरा बंद होने पर पुलिस को सूचना दी। इस पर ए एसआई अमजद खां ने मौके पर पहुंच कर मृतका को फंदे से उतार चिकित्सालय पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर मृतका का पोस्टमार्टम करवा शव परिवार को सौंप दिया। आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

उत्कृष्ट विद्यार्थियों को किया सम्मानित

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान विद्यापीठ कुल द्वारा संचालित श्रीमन्नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की ओर से मंगलवार को बीएड महाविद्यालय के सभागार में आयोजित विदाई समारोह एवं पारितोषिक वितरण समारोह का शुभारंभ कुलाधिपति कुल प्रमुख भंवर लाल गुर्जर, कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत, राजकुमारी सनाद्वय, डॉ. बलिदान जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य राजकुमारी सनाद्वय ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। गणेश वंदना से शुरू हुए समारोह में छात्र छात्राओं ने एकल नृत्य समदरिच्य लहरा लेवे सा, ओम्हारा मीठोडा मेहमान, सहित पंजाबी, राजस्थानी रीमिक्स गानों पर प्रस्तुतियां दे अतिथियों का मन मोह लिया। विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों एवं

उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न व प्रमाण पत्र से सम्मानित करते हुए भंवर लाल गुर्जर ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कार्य के प्रति समर्पण व निष्ठा जरूरी है। आजादी के 10 वर्ष पूर्व 1937 में स्थापित विद्यापीठ संस्थान ने देश ही नहीं विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इसे ओर अधिक उंचाईयों पर पहुंचाने का जिम्मा युवा विद्यार्थियों का है। कुलपति प्रो. एस.एस. सारंगदेवोत ने कहा कि आधुनिकता के दौर में हम अपनी संस्कृति, सभ्यता को भूलते तो जा रहे हैं। आज का युवा अपनी राह से भटकते जा रहे हैं, सोशल मिडिया की काल्पनिक दुनिया में खोये रहते हैं और जीवन का बड़ा हिस्सा इनमें खराब कर देते हैं जो चिंता का विषय है, वे अपने फोलोअर्स को देख कर खुश होते हैं लेकिन असल जीवन में उनका कोई महत्व नहीं है।

सार-समाचार

शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

उदयपुर, (कासं)। गीतांजली कॉलेज एवं स्कूल ऑफ नर्सिंग के बी.एस.सी. नर्सिंग के 19वे एवं जी.एन.एम के 17वे व 18वे बैच के विद्यार्थियों के लिए लैप लाइटिंग एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर ऋषि कपूर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डॉ. हरप्रीत सिंह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट, भूपेंद्र जैन, जॉइंट रजिस्ट्रार, डॉ. विजया अजमेरा, डीन जी.सी.एस.एन. द्वारा डॉ. अलोक रावत, प्रिंसिपल जी.सी.एन., डॉ. दिनेश शर्मा, प्रिंसिपल, जी.एस.एन., डॉ. बालाजी मनोहर प्रिंसिपल जी.डी.आर.आई एवं प्रो. कमलेश जोशी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर डॉ. दिनेश शर्मा ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नर्सिंग में योगदान पर प्रकाश डाला। डीन जी.सी.एस.एन. डॉ. विजया अजमेरा ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाई। डॉ. हरप्रीत सिंह ने नर्सिंग प्रोफेशन में अनुशासन के महत्त्व के बारे में बताया। बी.एस.सी. नर्सिंग एवं त्रहूर के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जिसमे गणेश वंदना, सरस्वती वंदना एवं समूह नृत्य प्रस्तुत किया। प्रिंसिपल जी.सी.एन. डॉ. अलोक रावत ने समस्त गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में राष्ट्र गान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

पिम्स में हो रहा है मित्रा ग्लैमफेस्ट प्री जेनेसिस 2026

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतिष्ठित पिम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, साई तिरुपति यूनिवर्सिटी, उमरछा में एक भव्य और आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। यह ठौड ईवेंट 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फैशन प्रतियोगिता एवं ग्लैमरस फैशन वॉक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश की प्रसिद्ध मॉडलस रैंप पर अपने जलवे बिखेरीती नजर आएंगी। विशेष बात यह है कि इन मॉडलस द्वारा पहने जाने वाले परिधानों को पिम्स के छात्रों द्वारा स्वयं डिजाइन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता और फैशन डिजाइनिंग स्किल्स को एक बड़ा मंच मिलेगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेंगे प्रसिद्ध सिंगर एवं डीजे ऋत्विज श्रीवास्तव, जिनके लोकप्रिय गीत बरसो, आरी आरी और उड गए युवाओं के बीच बेहद चर्चित रहे हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध कवि रंगमल जैन द्वारा शायरी का विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत

डुंगरपुर, (निर्सं)। जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के देवसोमनाथ गांव के पास सोमवार रात 2 बाइक में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को डुंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोवड़ा थाने के एसएसआई ने बताया कि गश्त के दौरान उन्हें देवसोमनाथ गांव के पास दो बाइकों की टक्कर की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जहां 2 बाइक क्षतिग्रस्त अवस्था में थीं और 3 युवक सड़क पर घायल पड़े थे। 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई, जिसने तीनों युवकों को डुंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान गडाकुम्भरिया गांव निवासी कपिल कोत के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कलारिया निवासी भरत कलासुआ और कपिल कलासुआ गंभीर रूप से घायल हैं और उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है।

छात्र की इलाज के दौरान मौत

डुंगरपुर, (निर्सं)। सदर थाना क्षेत्र के वागदरी के पास दो बाइक की टक्कर में घायल 10 वीं कक्षा के छात्र की 7 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक का गुजरात के मौडासा में इलाज चल रहा था। वहीं, घटना के दिन ही एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कलारिया निवासी भरत कलासुआ और कपिल कलासुआ गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को डुंगरपुर से रेफर कर दिया था।



राजस्थान सरकार का उपक्रम

RIISING RAJASTHAN
REPLITE • RESPONSIBLE • READY

औद्योगिक विकास के खुल रहे नये द्वार आप भी बनें भागीदार

सरल ई-नीलामी के माध्यम से **आवंटन**

आधारभूत सुविधाओं युक्त औद्योगिक क्षेत्रों में करें उद्यम की स्थापना

61 कुल औद्योगिक क्षेत्र	290 कुल भूखण्ड	281 औद्योगिक भूखण्ड	09 लॉजिस्टिक भूखण्ड
-----------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------

उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है

ईएचडी आवंटन तिथि: 04 फरवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 18 फरवरी, 2026 (सारां 06:00 बजे)	ऑनलाईन विड आवंटन तिथि: 19 फरवरी, 2026 (प्रातः 10:00 बजे) अंतिम तिथि: 23 फरवरी, 2026 (सारां 05:00 बजे)		
28 आदू रोड	01 चूरू	34 नागौर	07 उदयपुर
35 अजमेर	08 बीकानेर	07 पाली	02 जयपुर (दक्षिण)
03 अलवर	14 श्रीगंगानगर	24 झालावाड़	02 जयपुर (उत्तर)
07 भिवाड़ी-I	08 किशनगढ़	01 जालोर	22 ईभीआईपी सीतापुरा, जयपुर
23 भिवाड़ी-II	13 भीलवाड़ा	11 राजसमंद	02 जोधपुर
06 बोरानाडा	01 जयपुर (ग्रामीण)	20 कोटा	03 सवाईमाधोपुर
05 धिलोठ	03 नीमराना		

*25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 11 वित्तियों में 8.5% व्याज के साथ या 120 दिनों की भीतर व्याज रहित भुगतान या

रीको की टर्न लोन स्क्रीन के तहत भूमि की लागत का 75% तक का ऋण 5 साल की पुनर्भुगतान अवधि एवं 8.5% व्याज के साथ

*केवल औद्योगिक भूखण्डों के लिए

आवेदन के लिए QR कोड स्कैन करें



राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्क्रीम, जयपुर-302005

ई-नीलामी हेल्पलाइन नं. 0141-4593250, 4593327, हार्डसएफ: +91 9001306515, ई-मेल: riico@riico.co.in

आवेदन से सम्बंधित निम्नो एवं एवं, ईमेल: विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें

<https://riico.rajabsthan.gov.in> या <https://www.riico.co.in>

आवेदन से सम्बंधित निम्नो एवं एवं, ईमेल: विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से सम्बंधित जानकारी के लिए देखें

कोटा में कार से 1.40 करोड़ कीमत की चांदी की सिल्लियां जब््त

नाकाबंदी में एमपी नम्बर की कार की तलाशी ली तो 49 किलो कच्ची चांदी की सिल्लियां बरामद की

कोटा, (निर्स)। कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी को जब्त किया है। पुलिस टीम द्वारा जब्त की गई चांदी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये बताई गई है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत

- पूछताछ के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देने पर चांदी की सिल्लियां जब्त कर ली, पूछताछ में सिल्लियां गरोठ से कोटा लाना बताया**



कनवास पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार से कच्ची चांदी की सिल्लियां जब्त की

कनवास थाने के थानाधिकारी अनुप सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन

किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि कनवास थानाधिकारी अनुप सिंह

ने गठित टीम द्वारा कनवास तिराहा मोरुकलां पर नाकाबन्दी कर वाहनों की चैकिंग की। नाकाबंदी के दौरान एक एमपी नम्बर की कार को रोककर कार की तलाशी ली तो कार में से 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी की सिल्लियां बरामद की गई। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने जिला मंदसौर के थाना गरोठ के नौलेश्वरी कॉलोनी निवासी आशिष (41) एवं कार में सवार पौरुलाल दोनों से पूछताछ कर दस्तावेज मांगे लेकिन कोई कागज नहीं देने पर पुलिस टीम ने 49.43 किलोग्राम कच्ची चांदी को जब्त किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि जब कि गई चांदी की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख है। पुलिस टीम ने जब्त चांदी की कार्यवाही की सूचना आयकर विभाग व जीएसटी विभाग को दी, चांदी की खरीद-फरोख्त के बारे में अनुसंधान जारी है।

कनवास थानाधिकारी अनुप सिंह ने बताया कि कार में सवार दोनों से पूछताछ के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देने पर चांदी की सिल्लियां जब्त कर ली है, पूछताछ में सिल्लियां गरोठ से कोटा लाना बताया है।

महिला के गले से मंगल सूत्र लूटा

बीकानेर, (निर्स)। नाल पुलिस थाना क्षेत्र में करमीसर से बच्छासर रोड पर बाइक पर सवार दो युवक एक महिला के गले से सोने का मंगल सूत्र छीनकर फरार हो गए। करमीसर निवासी माधुरी देवी और उसकी पुत्री दोनों गांव में बच्छासर रोड पर स्थित सती माता के मंदिर दर्शन करने गई थी। वहां से वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान सामने से दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और अचानक माधुरी देवी के गले पर झपट्टा मारकर उसका मंगल सूत्र छीनकर फरार हो गए। मां-बेटी ने शोर मचाया, लेकिन लुट्टरों का पता नहीं चल पाया। करमीसर निवासी कालूराम जाट की ओर से पुलिस को रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट में बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उसकी पत्नी का मंगलसूत्र छीनकर ले जाने मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी खंगालने पर बाइक सवार दो युवक भागते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच एएसआई सुभाषचंद्र को सौंपी गई है।

34 सिलेंडर जब्त

अलवर, (निर्स)। रसद विभाग की टीम द्वारा घरेलू गैस के व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु खेरली नगर पालिका के ईमली वाला कुआं सौखर रोड खेरली में मनीष गैस रिफिलिंग सेंटर पर कार्वाई करते हुए 34 गैस सिलेंडरों को जब्त किया। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि टीम द्वारा मौके पर मनीष गैस रिफिलिंग सेंटर पर 34 गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाये गए जिन्हें जब्त कर मैसर्स देवव्त्रभि गैस एजेंसी खेरली को सुपुर्द किए गए।

14 साल पुराने हमले के मामले में बड़ा न्यायिक मोड़ आया

पावटा, (निर्स)। प्रागपुरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुए हमले के चर्चित प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया ने अहम मोड़ लिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं.-2, कोटपूतली ने गत 22 जनवरी को तीन आरोपियों महेन्द्र पुत्र भैरूलाल यादव (टसकोला), राकेश पुत्र रोहिताश सिंह (ढाणी दुले सिंह, बड़नगर) एवं राजेन्द्र पुत्र रामकरण यादव (फतेहपुरा खुर्द) को धारा 323, 147, 149 व 458 आईपीसी में दोषी मानते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 जुर्माने की

- गत 22 जनवरी को सजा सुनाई, 31 जनवरी को जिला न्यायालय से दोषमुक्त**

सजा सुनाई थी, जबकि धारा 382 आईपीसी में दोषमुक्त किया था। मामला जून 2012 का था, जब आरोप था कि अभियुक्त आधी रात को वाहन में सवार होकर परिवारी बनवारी लाल के घर पहुंचे और बेसबाल डंडों, लोहे की

कलैक्टर ने थाने का निरीक्षण किया

बाड़मेर, (निर्.सं.)। जिला कलैक्टर टीना डाबी ने मंगलवार को बाड़मेर स्थित रीको थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेखों, शिकायत पंजिका, मालखाना, सीसीटीवी व्यवस्था तथा साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलैक्टर ने थाने में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

सांवरिया सेठ जा रहे थे श्रद्धालुओं की बोलेरो और बस में टक्कर, नौ जने घायल



स्थानीय लोगों ने घायलों को निजी साधनों की मदद से महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया।

तुरंत महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया। इस हादसे में नौ लोग घायल हुए हैं। घायलों में मधु नाम की एक बच्ची भी शामिल है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों का एमजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति सामान्य है। मौके पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवा दी गई

है और ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

बालोतरा में धरने पर बैठे वाहन चालकों के साथ मारपीट :- बालोतरा के निकट समदड़ी थाना क्षेत्र के जेठदरी बजरी नाके पर देर रात उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब

- नरेना (रूपनगढ़) से सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहे थे श्रद्धालु**

अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे वाहन संचालकों और चालकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना के बाद वाहन स्वामियों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में डम्पर चालक मौके पर पहुंचत्र हो गए हैं। वाहन संचालकों का आरोप है कि बजरी लीज संचालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुख्य विवाद ओवरलॉडिंग और रसीद के खेल को लेकर है। रसीद में हेरफेर का आरोप है कि लीज संचालक केवल 9 टन की रसीद थमाकर वाहनों को रवाना कर रहे हैं। राजस्व का नुकसान इस अंडर-बिलिंग के खेल से सीधे तौर पर सरकार को मिलने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। अपनी इन्हीं जायज मांगों और लीज संचालक की मनपर्जी के खिलाफ वाहन संचालक नाके पर

नागौर में 1.35 करोड़ का अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए जब्त

नागौर, (निर्स)। नागौर जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन नीलकंठ’ के तहत नागौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना खींवसर व जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपये कीमत का 670 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए, 11 लाख 23 हजार 400 रुपये नकद, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा तथा मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त का हिसाब रखने वाली दो डायरियां जब्त की है। इस कार्रवाई में मौके से फरार आरोपी श्रवणराम की पत्नी पूजा विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तत्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी एवं सहायक पुलिस अधीक्षक

- कार्रवाई में मौके से फरार आरोपी श्रवणराम की पत्नी पूजा विश्नोई को गिरफ्तार किया**
- 11.23 लाख नकद, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा तथा हिसाब रखने वाली दो डायरियां जब्त की**

जतिन जैन (आईपीएस) के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी पुलिस खींवसर रामनारायण भंवरिया मय पुलिस जाब्ता एवं डीएसटी टीम नागौर को 31 जनवरी को गोपनीय सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गांव पांचलासिद्धा, विश्नोईयों की ढाणी स्थित श्रवणराम विश्नोई के रहवासी मकान पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी श्रवणराम मौके से फरार हो गया, जबकि तलाशी के दौरान मकान के आगे बने बाथरूम में गुप्त स्थान से 670 ग्राम एमडीएमए, इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा नकद 11.23

लाख रुपये बरामद किए गए। साथ ही मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त और हवाला लेन-देन से संबंधित लाखों रुपये के हिसाब-किताब वाली दो डायरियां भी जब्त की गई। पुलिस ने मौके से आरोपी की पत्नी पूजा विश्नोई (23) को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना खींवसर में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामले का अनुसंधान पुलिस थाना कोतवाली नागौर को सौंपा गया है। पुलिस फरार आरोपी श्रवणराम की तलाश में जुटी है तथा मादक पदार्थ तत्करी से जुड़े अन्य नेटवर्क की भी गहन जांच की जा रही है।

‘यूजीसी कानून को और व्यापक, मजबूत बनाकर लागू किया जाए’

- डिट्टी सीएम बैरवा को रुक्टा डेमोक्रेटिक ने 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा**

जातिगत भेदभाव के विभिन्न प्रकारों को जैसा 2012 के यूजीसी के समता संवर्धन के कानून में चिन्हित किया गया था स्पष्ट किया जाए। रोहित एक्ट की मांग के अनुरूप जातिगत भेदभाव को कठोर दंडनीय अपराध बनाया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के साथ शिक्षण संस्थानों में विशेषरूप से नौकरियों में बड़ा भेदभाव है अतः ओबीसी को भी यूजीसी कानून में शामिल किया जाना सिवधान सम्मर्भ है। उच्च शिक्षा सहित शिक्षा पर बजट बढ़ाया जाए ताकि बड़ी संख्या में वर्षों से रिक्त पड़े प्रोफेसर एवं अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की जा सके। माननीय

उच्चतम न्यायालय ने भी रिक्त पद 4 माह में भरे जाने का कड़ा निर्देश दिया है। बैकलॉग पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।लाइब्रेरियन, पीटीआई पदों पर भर्ती की जाए। राजसेस महाविद्यालयों में कई वर्षों से कार्यरत प्राध्यापकों को स्थाई किया जाए एवं शैक्षणक पदों पर भी भर्ती की जाए।

कैसर पीडित कला महाविद्यालय अलवर के सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन प्रहलाद राम बुनकर का सेवानिवृत्ति का प्रकरण अटकाया हुआ है। प्राचार्य अशोक आर्य ने मनमानी वसूली निकलवाई हुई है, इसका कड़ा संत्रान लेकर पीडित को न्याय दिलाया जाए। खुलेआम कार्यालय समय में शराब पीकर शिक्षकों के साथ बदतमीजी करने वाले प्राचार्य अशोक आर्य को को तुरंत निलंबित कर कड़ी अनुशासनिक करवाई की जाए। इनके हिलाफ सगीन धाराओं में पुलिस थानों में अनेक मुकदमें एवं विभाग में शिकायतें दर्ज है आदि मांगें रखी।

14 साल पुराने हमले के मामले में बड़ा न्यायिक मोड़ आया

- गत 22 जनवरी को सजा सुनाई, 31 जनवरी को जिला न्यायालय से दोषमुक्त**

सजा सुनाई थी, जबकि धारा 382 आईपीसी में दोषमुक्त किया था। मामला जून 2012 का था, जब आरोप था कि अभियुक्त आधी रात को वाहन में सवार होकर परिवारी बनवारी लाल के घर पहुंचे और बेसबाल डंडों, लोहे की

बालिका सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आठ मार्च को

- प्रवेश के लिए एक सीट पर करीब 81 छात्राओं के बीच प्रतिस्पर्धा रहेगी**

प्रवेश परीक्षा के जरिए इन सीटों पर दाखिला मिलेगा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान की ओर से राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाली बालिकाओं के आँनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12

डाक जीवन बीमा दावे में देरी पर डाक विभाग को झटका

जोधपुर उपभोक्ता आयोग ने 15 लाख रुपये के 75 प्रतिशत भुगतान का आदेश दिया

जोधपुर, (का.सं)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिाेष आयोग, जोधपुर (द्वितीय पीठ) ने डाक जीवन बीमा के मृत्यु दावा निपटान में अनावश्यक देरी और लापरवाही को सेवा में स्पष्ट कमी मानते हुए डाक विभाग के विरुद्ध अहम निर्णय पारित किया है। यह निर्णय आयोग के अध्यक्ष डॉ. यतीश कुमार शर्मा एवं सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास द्वारा दिया गया। आयोग ने अपने आदेश में डाक विभाग को निर्देश दिया कि वह परिव्रादी को डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत देय कुल बीमा राशि का 75 प्रतिशत अर्थात 15,00,000 45 दिनों के भीतर अदा करे। प्रकरण में परिव्रादी द्वारा अपनी पत्नी के निधन के पश्चात समय

पर मृत्यु दावा प्रस्तुत किया गया था। परिव्रादी ने सभी आवश्यक चिकित्सीय, सेवा एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए, इसके बावजूद विभाग द्वारा लंबे समय तक दावा लंबित रखा गया और बार–बार अनावश्यक दस्तावेजों की माँग की जाती रही। आयोग ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि बीमा दावा प्राप्त होने के बाद सेवा प्रदाता का दायित्व है कि वह युक्तिसंगत समया सीमा में दावा स्वीकार या अस्वीकार करे। केवल विभागीय जाँच के नाम पर अनिश्चितकाल तक दावा लंबित रखना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के विपरीत है। आयोग ने यह भी कहा कि डाक जीवन बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा

योजना में विभाग की जिम्मेदारी और अधिक संवेदनशील हो जाती है तथा बिना ठोस एवं प्रमाणिक साक्ष्य के बीमारी छिपाने का आरोप लगाकर दावा रोकें रखना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आयोग ने परिव्रादी को मानसिक पीड़ा एवं सेवा में कमी के लिए 50,000 क्षतिपूर्ति तथा 1०,000 वाद व्यय प्रदान करने का भी आदेश दिया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर देय राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त संदेश देता है कि बीमा दावों में अनावश्यक देरी और उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री व विधायक सदन में बेहतर उपस्थिति व सक्रिय भूमिका निभाएं- भजनलाल

जयपुर, 3 फरवरी। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। यह बैठक विधानसभा परिसर की सत्ता पक्ष लॉबी में आयोजित की गई। बैठक के शुरू में पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड्गाना और पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल के

- भाजपा विधायक दल की बैठक का समय सुबह 10 बजे का निर्धारित था। बड़ी संख्या में मंत्री व विधायक समय पर नहीं पहुंच पाये, इसलिए बैठक निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो पाई। पर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं बैठक स्थल पर समय पर पहुंच गए थे।**

मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायक दल की बैठक में अनुशासन व समयबद्धता पर जोर दिया



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक ली।

और इसकी कार्यवाही का पूरा सदुपयोग जनहित में किया जाना चाहिए।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजस्थान के लिए रेलवे क्षेत्र में किए गए 1० हजार करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का उल्लेख करते हुए इसे राज्य के बुनियादी ढ ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बताया। विधायक दल की

बैठक को लेकर एक अहम मुद्दा भी सामने आया। बैठक का समय सुबह 1० बजे निर्धारित था, लेकिन बड़ी संख्या में मंत्री और विधायक समय पर उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके कारण बैठक निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी। तथापि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं समय पर बैठक स्थल पर पहुंच गए थे।

इस पर मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ शब्दों में कहा कि यदि सभी मंत्री और विधायक समय पर बैठकों में पहुंचेंगे, तो चर्चा भी समय पर और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। उन्होंने कहा कि अनुशासन और समयबद्धता सरकार की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और इसे हर स्तर पर अपनाया जाना चाहिए।

‘भारत-अमेरिका ट्रेड ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
उसका कहना है कि अमेरिका अक्सर ताकतवर स्थिति से बातचीत करता है और अन्य मामलों में उसने ऐसे समझौते हासिल किए हैं, जिनसे साझेदार देशों के बाज़ार खुले तथा घरेलू नियमों में ढील आई और अमेरिकी निर्यातकों को भारी लाभ मिला। छोटे देशों के साथ हालिया अमेरिकी व्यापार समझौतों का उदाहरण देते हुए जीटीआरआई ने तर्क दिया कि किसी भी भारत-अमेरिका समझौते को वास्तव में पारस्परिक होना चाहिए और केवल अल्पकालिक शुल्क कटौती पर केन्द्रित होने के बजाय, भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

कृषि चिंता का प्रमुख विषय बनी हुई है। जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाने या हटाने से भारतीय किसानों को भारी सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी अनाज, डेयरी और पोल्ट्री से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उसने यह भी आगाह किया कि शुल्क संरक्षण की जगह ढीले नियामकीय प्रावधान, जिनमें स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी मानक शामिल हैं, अपनाने से खाद्य सुरक्षा मानक कमजोर हो सकते हैं और वे सांस्कृतिक व सामाजिक रूप से संवेदनशील सुरक्षा उपाय खत्म हो सकते हैं, जिन्हें एक बार छोड़ देने के बाद बहाल करना कठिन होता है।

निर्यात के मोर्चे पर, जीटीआरआई ने

क्स्त्र, आभूषण, झींगा और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊँचे शुल्कों के प्रति भारत की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। उसका तर्क है कि सुनिश्चित और टिकाऊ बाज़ार पहुँच के बिना भारत शुल्क में रियायतें दे सकता है, जबकि उसकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर होती जाए। शुल्क से आगे बढ़कर, थिंक टैंक ने बार-बार नियामकीय संप्रभुता की रक्षा के महत्व पर जोर दिया है और चेतावनी दी है कि बाध्यकारी व्यापार प्रतिबद्धताएँ भविष्य के आर्थिक या भू-राजनीतिक बदलावों के अनुरूप नीतियों को पुनर्संतुलित करने की भारत की क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर सकती हैं।

अंत में, जीटीआरआई ने अमेरिकी प्रणाली के भीतर मौजूद कानूनी और राजनीतिक जोखिमों की ओर भी इशारा किया है। उसका कहना है कि व्यापार प्रतिबद्धताओं में कांग्रेस द्वारा बदलाव लाया जा सकता है या उन्हें कमजोर किया जा सकता है, विशेष रूप से तब, जब फास्ट-टैक प्राधिकरण न हो। इससे एक असंतुलन पैदा होता है, जिसमें भारत की रियायतें स्थायी हो जाती हैं, जबकि अमेरिकी दायित्व घरेलू राजनीतिक उठापटक के अधीन रहते हैं। कुल मिलाकर, जीटीआरआई की आलोचना अस्वीकृति से अधिक सतर्कता पर आधारित है और इस बात पर जोर देती है कि एक टिकाऊ भारत-अमेरिका व्यापार समझौता किसानों, उद्योग और नीतिगत स्वायत्तता की रक्षा करे, न कि अमेरिका को भारी लाभ पहुँचा दे।

11 फरवरी को होगा मुम्बई मेयर का चुनाव

6 फरवरी को नामांकन दाखिल होंगे तथा 11 फरवरी को नामांकन वापस लिए जाएंगे

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 3 फरवरी। बृहन्मुम्बई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (ब.एम.सी.) के मेयर पद का चुनाव 1१ फरवरी को होगा और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि भी वही होगी।

इस समय-सीमा के तय होने से राजनीतिक दलों, विशेषकर देश के इस सबसे बड़े नगर निकाय में सत्तारूढ़ दल के भीतर महापौर लांबिंदेग शुरू हो गई है, वहीं विपक्ष ने तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से तैयार की गई है।

इस वर्ष का महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा कराई गई लॉटरी के ज़रिये लिया गया है। इस कारण जहां सत्तारूढ़ दल के भीतर जोरदार लांबिंदेग शुरू हो गई है, वहीं विपक्ष ने तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से तैयार की गई है।

इस वर्ष का महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा कराई गई लॉटरी के ज़रिये लिया गया है। इस कारण जहां सत्तारूढ़ दल के भीतर जोरदार लांबिंदेग शुरू हो गई है, वहीं विपक्ष ने तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से तैयार की गई है।

- लॉटरी प्रणाली के तहत मुम्बई का मेयर पद सामान्य वर्ग की महिला को मिला है, इससे शिव सेना (उद्धव गुट) की उम्मीदें टूट गई हैं, वहीं भाजपा में भारी उठापटक मची है। मेयर बनने की आकांक्षी कद्दावर महिला पार्षदों ने जोड़तोड़ करना शुरू कर दिया है।**

- इनमें रितु तावड़े, हर्षिता नर्वेकर व शीतल गंभीर प्रमुख हैं। पार्टी का एक धड़ा तावड़े के पक्ष में है, वहीं स्पीकर राहुल नर्वेकर अपनी भाभी हर्षिता के पक्ष में खड़े हैं।**

- सबसे प्रमुख बात यह है कि इन तीनों को ही बाहरी बताया जा रहा है, क्योंकि ये अन्य दलों से भाजपा में आई हैं। पार्टी का एक गुट कह रहा है कि मेयर पद ऐसी महिला को मिलना चाहिए, जिसने शुरू से ही मुम्बई में भाजपा के लिए काम किया हो।**

फडणवीस से मिलने का समय मांग रहे हैं, जिन्हें पार्टी के अंतिम फैसले से निर्णायक माना जा रहा है।

भाजपा के भीतर चर्चा में तीन नाम प्रमुख हैं : हर्षिता नरवेकर, ऋतु तावड़े और शीतल गंभीर।

मुंबई भाजपा का एक गुट ऋतु तावड़े के पक्ष में मजबूती से खड़ा है, जबकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर अपनी भाभी हर्षिता नरवेकर की उम्मीदवारी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं।

इसी बीच, पार्टी के भीतर एक और तर्क है कि नरवेकर, तावड़े और गंभीर

मूलरूप से भाजपा सदस्य नहीं हैं, वे अन्य दलों से आकर पार्टी में शामिल हुई हैं। इन नेताओं का कहना है कि महापौर का पद किसी ऐसी महिला को मिलना चाहिए, जिसने वर्षों तक मुंबई में भाजपा संगठन के भीतर काम किया हो।

यह राजनीतिक उथल-पुथल उस घोषणा के बाद सामने आई है कि मुंबई का अगला महापौर सामान्य वर्ग की महिला होगी। यह निर्णय राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा कराए गए लॉटरी ड्रां के ज़रिये लिया गया। यह विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है।

लॉटरी प्रणाली यह तय करती है।

मतदाता सूची की प्रक्रिया में अपनाया जा रहा है।”

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका सुचीबद्ध होने की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब आगामी चुनावों से पहले राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक इस मामले पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका फैसला एसआईआर की प्रक्रिया और पश्चिम बंगाल में व्यापक चुनावी तैयारियों को प्रभावित कर सकता है।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह मामला 4 फरवरी को सुचीबद्ध होने की संभावना है और यदि सुनवाई होती है तो मुख्यमंत्री के स्वयं पीठ के समक्ष उपस्थित होने की उम्मीद है।

मध्यप्रदेश ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
किया। इसके बदले राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश को लगभग 3 करोड़ रुपए राजस्व राशि के रूप में भुगतान किया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश आयोग के निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव, सचिव दीपक सिंह और राजस्थान आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह, सचिव राजेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कि महापौर का पद किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगा-सामान्य, महिला, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) या अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)। श्रेणी घोषित होने के बाद ही पात्र पार्षद नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि लॉटरी ड्रां मुंबई सहित, महाराष्ट्र के 28 अन्य नगर निकायों के लिए किया गया, जहां 15 जनवरी को चुनाव हुए थे। ड्रां का परिणाम शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के लिए झटका साबित हुआ। पार्टी को उम्मीद थी कि मुंबई का महापौर पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित होगा। श्रेणी की दोनों पात्र महिला पार्षद आकलन था कि एसटी आरक्षण से उसे शीर्ष नागरिक पद पुनः हासिल करने का एक दुर्लभ अवसर मिल सकता था। यह पद पार्टी ने 1997, जब पार्टी ने विभाजित नहीं हुई थी, के बाद से लगातार 25 वर्षों तक संभाला था।

‘प्रदेश ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
राजस्व बढ़ाने की गलत नीयत से लागू किया है, जो छोटे खनन लीजधारकों की कमर तोड़ने जैसा है।

यचिका में कहा गया है कि वर्ष 1975 से 2010 तक जी.टी. शीट्स के आधार पर खनन क्षेत्रों की सीमाएं (बाउंड्री) तय की जाती थीं। इसके बाद खनन विभाग ने जी.टी.शीट्स को “गूगल अर्थ” से ली गई तस्वीरों पर अपलोड कर दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में भी कई जगहों पर वास्तविक जमीन स्थिति से करीब १०0 मीटर दूरी तक का अंतर था। इस कारण भी कई लीज धारकों के बीच विवाद सामने आया था। अब जो ड़ोन और सैटेलाइट सर्वे का नियम लागू किया जा रहा है, उससे भी करीब 15-2० मीटर दूरी तक का अंतर सामने आ रहा है। इस समस्या का भी खनन विभाग की ओर से कोई समाधान मुहैया नहीं करवाया जा रहा।

यचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और खनन विभाग सिर्फ ड़ोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही लीजधारकों पर जुर्माना तय करके पैनल्टी लगा रहे हैं। यह इसलिए अव्यवहारिक है, क्योंकि ड़ोन सर्वे के आधार पर ही यह तय नहीं किया जा सकता कि किस ब्लॉक में वास्तविकता में कितना खनन किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि किस खनन लीज से कितनी मात्रा में बजरी अथवा अन्य पत्थर निकलेगा, इसका मापदंड भी तय नहीं है। ऐसे में ड़ोन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पैनल्टी किस प्रकार लगायी जा सकती है।

‘मुझे नहीं ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
इसके साथ ही, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आठ सदस्यों को निर्लंबित कर दिया गया है, जिनमें से एक वाम दल का सदस्य भी शामिल है।

लेकिन, नरेंद्र मोदी तमाम

आलोचनाओं के बावजूद अप्रभावित

दिखे। उन्होंने भाजपा संसदीय दल की

बैठक में स्वयं को माला पहनवाई, और

दिन भर टीवी चैनलों पर मोदी, ट्रम्प

और इस ट्रेड डील की तारीफों का दौर

चलता रहा कि उन्होंने कितना शानदार

काम किया है।

सवाल यह है कि जब विपक्ष के इतने नेता मोदी का सीधे सामना करने और यह कहने में सक्षम नहीं हैं कि उन्होंने देश को बेच दिया है, तब राहुल गांधी में ही यह साहस है कि वे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला करें और गलत को गलत कहें।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
दोनों देश दवाइयों, स्टील, विमानों, तकनीकी उत्पादों और कुछ कृषि वस्तुओं सहित, कई तरह के उत्पादों का पहले से व्यापार कर रहे हैं। सालाना व्यापार का आकार लगभग 13० अरब डॉलर था, जो न तो बहुत कम था और न ही बहुत ज़्यादा।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच अचानक घोषित ट्रेड डील से ट्रम्प को ज़रूर झटका लगा होगा।

रूसी तेल खरीदते पर भारत को दंडित करने के अपने फैसले की मूर्खता का एहसास ट्रम्प को तब हुआ होगा, जब उन्होंने देखा कि भारत और ईयू ने लंबे समय से चल रही द्विपक्षीय व्यापार रूपारेखा पर बातचीत को तेजी से पूरा कर लिया। आखिरकार यह अजीब थी था कि अमेरिका यूरोप में चल रहे किसी और के युद्ध के लिए भारत को सजा दे रहा था, जबकि जो देश वास्तव में रूस से युद्ध के खतरे का सामना कर रहे हैं (यूरोपीय देश), वे खुशी-खुशी भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर सकते हैं।

यह समझते हुए कि वह किस स्थिति में फँस गए हैं, ट्रम्प ने फिर एक चाल चली, उन्होंने एक्टरफा तौर पर एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा कर दी और साथ ही रूसी तेल खरीदने पर भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ को भी एक्टरफा रूप से हटाने का ऐलान कर दिया।

“डैड ट्रम्प” की इस अचानक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा के सामने प्रधानमंत्री मोदी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, उन्हें इस घोषणा का स्वागत करना ही पड़ा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि दुनिया की भलाई के लिए डॉनल्ड ट्रम्प के साथ काम करना कितना सुखद है।

यह पूरा मामला एक बेतुके नाटक का हास्यास्पद तमाशा लगता है। तथाकथित व्यापार समझौते के दोनों पक्ष अब भी अस्पष्ट बने हुए हैं।

व्यापार समझौता एक गंभीर विषय होता है और इसमें शामिल देशों पर इसके दूरगामी असर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस यह कह दिया जाए कि सभी टैरिफ हटा दिए गए हैं और सामान बिना किसी रकबावट के आया-जाएगा। व्यापार समझौतों में शुल्क संरचनाओं, टैरिफ उद्देश्यों के लिए माल की श्रेणियां और सामन्य घरेलू घटक (डोमेस्टिक कंटेंट) से जुड़े विस्तृत प्रावधान होते हैं। ये बातें एक फोन कॉल के तुरंत बाद तय नहीं की जा सकतीं और आमतौर पर पेशेवर लोग इन्हें लंबे समय में तैयार करते हैं।



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मंगलवार को एन.एस.यू.आई. की ओर से आयोजित “युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरुद्ध” कार्यक्रम में शामिल हुए।

अमेरिका तथा नहीं कर सकता भारत की विदेश नीति- पायलट

वे एनएसयूआई के “युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरुद्ध” में शामिल होने जयपुर आए

जयपुर (कासं), 3 फरवरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील, विदेश नीति, टैरिफ, लोकतंत्र और बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति किसी दूसरे देश के इशारों पर नहीं चल सकती। यह भारत का अधिकार है कि वह किस देश से तेल खरीदेगा, अमेरिका वह तय नहीं कर सकता कि भारत रूस से तेल न खरीदे और वेनेजुएला से खरीदे। यह देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। पायलट ने ये बातें मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से रूबरू होकर कही।

पायलट, एन.एस.यू.आई. की ओर से विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित “युवाओं का युद्ध-ड्रग्स के विरुद्ध” कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर आए थे। उनके साथ

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए, जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता।**

एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, विधायक मनीष यादव, युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनियां, विधायक प्रशांत शर्मा, दीनदयाल बैरवा, पूर्व विधायक गजराज खटाना, वेदप्रकाश सोलंकी,

राकेश पारीक, कांग्रेस नेता अनिल चौपड़ा, वीजीयू के चेयरमैन डॉ. के.आर.बगविया भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले टैरिफ औसतन 5 से 7 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 5० प्रतिशत तक किया गया और अब घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। पायलट ने इसे भारत पर दबाव बनाने की राजनीति बताया।

केन्द्र सरकार के बजट पर निराशा जताते हुए पायलट ने कहा कि इसमें राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया। राज्य सरकार को अपने बजट में ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जो जमीन पर दिखें। सिर्फ घोषणाओं से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता है।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील ...

- पर, इस अव्यवहारिक शर्त के अंतर्गत भी व्यापारिक संतुलन बिठाना बहुत कठिन है। भारत, अमेरिका को कम मूल्य के लेवर “इन्टैसिव” प्रोडक्ट्स बेचना है और उनका उत्पादन अचानक एक झटके में बढ़ाना संभव नहीं। जबकि, भारत अगर कुछ हवाई जहाज अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदता है तो अमेरिका का भारत के निर्यात का आंकड़ा अचानक बहुत जल्दी आसमान छूने लगेगा।**

- ट्रंप द्वारा अचानक “ट्रेड डील” की घोषणा करने के कुछ भी कारण हों, पर, भारत के लिए इस डील का अचानक आना और कुछ नहीं, तो एक “डिलोमैटिक” (कूटनीतिक) कामयाबी तो ज़रूर है ही।**

डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की अचानक घोषणा के बाद, इनमें से किसी भी मुद्दे पर शायद ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसा कि ट्रंप ने वादा किया है, रूसी तेल की भारतीय खरीद में कमी के वादे का शायद ही कोई संकेत है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करेगा और इसके बजाय वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदेगा, जो प्रकृति में रूसी तेल जैसा है और इसलिए भारतीय रिफाइनरियां इसे आसानी से अपना सकती हैं।

मान भी लें कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी तेल की जगह वेनेजुएला का तेल स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं, फिर भी वेनेजुएला के पूरे तेल उद्योग का उत्पादन भारत की ज़रूरतों के सामने बहुत कम है। भारत कच्चे तेल का, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। रिपोर्टों के अनुसार, वेनेजुएला के तेल उद्योग का कुल उत्पादन भारत द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले तेल से कहीं कम है।

मान लें कि वेनेजुएला का तेल उपलब्ध भी हो, तो उसे समुद्र के रास्ते भारत तक लाना अपने-आप में एक बहुत बड़ा काम है, और वेनेजुएला का तेल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने से पहले इस सब चीजों की व्यवस्था करनी होगी।

सबसे बड़कर, भारत द्वारा अचानक रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद करने के रणनीतिक प्रभाव भी हैं। भारत रूसी हथियारों और रक्षा प्रणालियों पर काफ़ी हद तक निर्भर है।

फिर ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में एक बुनियादी बात है, जिसका दावा ट्रम्प कर रहे हैं। उनके अनुसार, भारत ने अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ शुल्क करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि अमेरिका कम से कम 18 प्रतिशत टैरिफ बनाए रखेगा। अगर भारत ने ऐसा कोई भी वादा

किया है, तो यह बेहद असामान्य होगा। कोई भी देश दूसरे देश से इसी तरह की छूट के बिना सामानों पर शून्य शुल्क की अनुमति नहीं दे सकता। भारत यह स्वीकार नहीं कर सकता कि अमेरिकी सामान बिना किसी शुल्क के आए, जबकि उसके अपने उत्पादों पर अमेरिका 18 या अपनी मर्जी का कोई भी ड्यूटी लगाए।

यह अपनी आर्थिक संप्रभुता छोड़ने जैसा होगा। इसे किसी भी तरह से मुक्त व्यापार समझौता नहीं कहा जा सकता। पिछले एक साल में दोनों पक्षों के बीच कई दौर की व्यापार बातचीत हो चुकी है, और व्यापार विशेषज्ञों ने विस्तृत कार्यक्रम तैयार किए होंगे। स्पष्टता और पारदर्शिता के लिए, इन्हें उचित तरीके से घोषित किया जाना चाहिए और सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ट्रम्प ने 2०3० तक भारत और अमेरिका के बीच 5०0 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य घोषित किया है। सन् 203० तक न सही, लेकिन इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार और कुल जीडीपी को देखते हुए इतना बड़ा व्यापार लक्ष्य असंभव नहीं है। अगर भारत अपने घरेलू नागरिक उद्युधन बेड़े के लिए बोइंग कंपनी से कुछ विमान खरीदता है, तो अमेरिका से आयात का आंकड़ा तेजी से बढ़ जाएगा।

लेकिन भारत के लिए अमेरिका को निर्यात बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। भारत आमतौर पर कम मूल्य वाले उत्पाद, जैसे कपड़ा, चमड़ा, श्रम-प्रधान वस्तुएं, दवाइयां और इसी तरह के छोटे-छोटे मूल्य वाले उत्पाद निर्यात करता है। कम समय में इनकी बिन्नो की तेजी से बढ़ाना मुश्किल साबित हो सकता है।

संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी कृषि उत्पाद भी इस व्यापार समझौते में शामिल हैं और ये अब भारतीय बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं। यह भारत के लिए

एक खतरनाक कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है, अगर भारत के किसान को उसके अपने ही देश में बाज़ार से बाहर कर दिया जाए।

चाहे जितने भी टैरिफ हटा दिए जाएं और अमेरिकी कृषि उत्पादों को प्रवेश की अनुमति दे दी जाए, कपये और डॉलर को विनिमय दर को देखते हुए भारत में बड़े पैमाने पर अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद तब तक संभव नहीं है, जब तक अमेरिका इन्हें भारी सब्सिडी न दे। इसके अलावा, कृषि उत्पादों को लेकर हमारी पसंद भी अलग है और भारत शायद अधिकांश अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए तैयार बाज़ार नहीं हो सकता। किसी भी खरीद के मामले में उपभोक्ता की पसंद मायने रखती है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का अचानक घोषणा के पीछे सच्चाई जो भी हो, कूटनीतिक रूप से यह भारत के लिए उपयोगी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम दंडात्मक टैरिफ अब स्थायी रूप से खत्म हो जाए।

आईसीसी ...

(**प्रथम पृष्ठ का शेष**)
सूत्रों ने पुष्टि की है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय बोर्डों से पीसीबी को मिली प्रतिक्रिया काफ़ी सख्त रही है। आम राय यह है कि इस मामले में पाकिस्तान के पास कोई वैध आचार (कानूनी स्थिति) नहीं है। पीसीबी ने इस बहिष्कार को बाँग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद उसके साथ एकजुटता दिखाने के रूप में पेश किया है, लेकिन इसे एक बनावटी संकट के रूप में देखा जा रहा है।

सदस्य बोर्डों ने कई ऐसे विरोधाभासों की ओर इशारा किया है, जो इस कदम के पीछे पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम ने हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला, बिना किसी विरोध या बहिष्कार की बात किए।

स्पष्ट असंगति का एक और उदाहरण यह है कि पाकिस्तान की महिला ‘ए’ टीम उसी दिन (15 फरवरी) को भारत ‘ए’ के खिलाफ खेलने वाली है और बैंकों में होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2०26 मैच से उसके हटने की कोई योजना नहीं है। चूंकि पुरुष वर्ल्ड कप का मैच कोलंबो, श्रीलंका में एक न्यूट्रल जगह पर होना है, इसलिए बांग्लादेश द्वारा भारत यात्रा के बारे में बताई गई “सुरक्षा चिंताओं” का पाकिस्तान को स्थिति पर कोई लॉजिकल असर नहीं पड़ता है।

राष्ट्रदूत हिन्दू संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाइंट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : ०141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायवा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हस्पा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स ०151-2527371 अजमेर कार्यालय : राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:०145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालोरा फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908

●●●●●

●●●●●